दिनांक 28-1-89 को प्रात: 11.00 बजे, कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा-जयपुर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत :-

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :-

1. डा. के.एन. नाग (कुलपति)
2. प्रो. पी.डी. शर्मा
3. श्री शिवनाथ सिंह कपूर
4. श्री हनुमान प्रसाद
5. श्री पी. सी. जैन
6. श्री पी. तिवारी
7. श्री जे.एन. जोहरी
8. डा. पी.एन. मेहरोत्रा
9. डा. आर.सी. मेहता
10. डा. एस. एन सक्सेना
11. डा. एन. एल. अग्रवाल
12. डा. एस. एस. आचार्य
13. श्री एस. आर चौधरी
14. श्री खुशहाल सिंह — सदस्य सचिव

आमंत्रित सदस्य

1. श्री के.एस. माथुर
2. श्री बी. एस. उज्वल

श्री पी. सी. जैन, विशिष्ट सचिव (शिक्षा), श्री पी. तिवारी उप शासन सचिव (कृषि), व श्री जे.एन. जोहरी, अतिरिक्त निदेशक (कृषि), ने क्रमश: शिक्षा सचिव, कृषि उत्पादन सचिव व निदेशक (कृषि) के नुमाइन्दे के रूप में बैठक में भाग लिया।

कुलपति महोदय ने डा. पी. डी. शर्मा व श्री शिवनाथ सिंह कपूर का कुलाधिपति के मनोनीत सदस्य के रूप में बैठक में प्रथम बार भाग लेने पर स्वागत किया।

प्रबन्ध बोर्ड के निवर्तमान सदस्य सर्वश्री प्रो. एम.बी. माथुर, डा. के.एम. मेहता एवं सूर्यदेव सिंह बारहठ की सेवाओं व योगदान को सराहना करते हुये record किया।

राकृवि/प्रबो/8/ 89-1/98	दिनांक 24.11.88 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि बैठकके कार्यवृत की पुष्टि निम्न टिप्पणी के साथ की जाय। मद संख्या 94- सदस्यों का मत था कि व्याख्याता/सहायक आचार्य/अनुसंधान सहायक जिनकी की अब वेतनमान समान हो गया है की वरीयता की तिथि उसी तिथि से मानी जाय जिस तिथि से वह सेवाओं में आये हैं। सदस्यो का यह भी मत था कि इस बिन्दु पर विचार करते समय माननीय उच्चतम् न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय को भी ध्यान में रखा जाय और उसेही आधार मानकर वरीयता कम निर्धारित किया जाय। यह भी ध्यान

में रखा जाये कि जो सहायक आचार्य के पद पर चयनित (select) हुवे है उनको वरियता व वेतन में कमी न हो।

विस्तृत विचार विर्मश के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि कुलसचिव और वित्त नियंत्रक साथ बैठकर प्रशासनिक दृष्टिकोण से अध्ययन कर विस्तृत जानकारी राज्य सरकार को दे व उसकी पूर्ण भूमिका के साथ प्रबन्ध बोर्ड को अगली बैठक में प्रस्तुत करे ।

राकृवि/प्रबो-8/89-1/99

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक 24-11-88 के द्वारा लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि क्रियान्विति को आलोकित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-8/89-1/100

कुलपति द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों के अनुमोदन पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कुलपति के द्वारा प्रसारित सभी आदेशों का अनुमोदन किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-8/89-1/101

अधिष्ठाता परिषद की बैठक दिनाक 23/12/88 के कार्यवृत की पुष्टि परविचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत को पुष्टि निम्न संशोधन के साथ की जाय ।

भविष्य में पूर्ण कार्यवृत न रखकर केवल मुख्य निर्णयों को ही प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यो के समक्ष रखा जाय । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में शैक्षणिक परिषद,भवन निर्माण कमेटी/वित्त समिति आदि के भी केवल मुख्य निर्णय ही प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ रखें जाय ।

राकृवि/प्रबो-8/89-1/102

डा. सजीव अग्रवाल,सहायक आचार्य (बायो केमेस्ट्री) श्री नरेन्द्र कर्ण कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के जो कि अमेरिका गये हुए है ने अवैतनिक अवकाश में एक वर्ष का अवैतनिक अवकाश और स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना की है पर विचार किया गया ।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि डा.संजीव अग्रवाल को एक वर्ष का अवैतनिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में दिनाक 6-4-88 से 5-4-89 तक की स्वीकृति प्रदान की जाय ।

राकृवि/प्रबो-8/89-1/103

श्री रवि माथुर, सह आचार्य,कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय उदयपुर जो की विधावाचस्पति उपाधि हेतु आई.आई.टी खांडगपुर गये हुए हैं के छह माह के अवकाश वृद्धि के प्रार्थना पर विचार किया गया ।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि श्री रवि माथुर को छह माह का अवकाश शेष उनके शोध कार्य व विश्लेषण कार्य आदि को पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्वीकृत न किया जाकर उन्हें अपनी उपाधि हेतु अध्ययन करने के लिये उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाय उपार्जित अवकाश न होने के स्थिति में अवैनितक अवकाश स्वीकृत किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-8/ 89-1/104 — माह जनवरी 1988 में आयोजित विभान्न चयन समितियों की सिफारिशों पर विचार किया गया ।
निर्णय लिया गया कि चयन समिति कि निम्न सिफारिशों को अनुमोदित किया जाय ।

विषय	पद नाम	नाम	चयन समिति की सिफारिश वरीयता क्रम	विवरण
1. बायो रसायनशास्त्र				
	अ) सह आचार्य	श्री रवीन्द्र कुमार	1	तीन अग्रिम वेतन वृद्धि
		डा. बिनोद शर्मा	2	नियमानुसार
		डा. देवकी नंदन गुप्ता	3	वेतन श्रृखलां का न्यूनतम्
	ब) सहायक आचार्य	डा एच. एन. मिश्रा	1	"
		श्री राम सिंह सैनी	2	"
		श्री कालूराम (एस. सी.)	3	"
2. गृह व्यवस्था				
	सहायक आचार्य	कुमारी आशा शंकरा-नारायण मेनन	1	"
		कुमारी सुनिता अग्रवाल	2	"
		श्री मती रेखा व्यास	3	"
3 सांख्यिकी				
	सहायक आचार्य	डा. संतोष कुमार जोहरी	1	नियमानुसार
		श्री झाबर सिंह	2	"
		श्री विजय कुमार खान्ना	3	"
		श्री भागीरथ सिंह	4	"
		श्री धामण्डाराम	5	"
		श्रीमती आजाद मुर्डिया	6	"
		श्री भूपेन्द्र उपाध्याय	7	"
		श्री हेमन्त कुमार जैन	8	"
4. उद्यान विज्ञान				
	सह आचार्य	डा आर. एस. ढाका	1	"
		श्री जे. एस. शेखावत	2	"
		डा. जयपाल सिंह पुंडिर	3	"
मेकेनिकल अभियांत्रिकी				
	सहायक आ चार्य	श्री महे श कुमार कटारिया	1	वेतन श्रखाला का न्यूनतम्
		श्री मुर्तजा अली सलोड़ा	2	नियमानुसार
विद्युत अभियांत्रिकी				
	सह आचार्य	कोई भी प्रत्याशि चयनित नही हुआ		
	सहायक आचार्य	श्री पारस चन्द्र बापना	1	नियमानुसार
		श्री एच. आर. नियजी	2	वेतन श्रखाला का न्यूनतम्

राकृवि/प्रबो/8/ 89-1/105	श्री अकबर महोम्मद, कृषि पर्यवेक्षक की वरीयता सूचि के क्रम संख्या 45 के बजाय 31 पर रखाना व सही करने के जो को 24/10/86 को प्रकाशित हुई है पर विचार किया गया ।
6.	निर्णय लिया गया कि यह एक सामान्य मामला है और उचित स्तर पर निपटा लिया जाना चाहिये और इसके लिये अधिकारी को अधिकृत किया जाना चाहिये साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे अधिकारों के प्रत्यायोजन (डेलिगेशन आफ पावर्स) के लिये निम्न समिति का गठन किया गया । कुलसचिव वित्त नियंत्रक अधिष्ठाता, राजस्थान कृषि महाविद्यालय
राकृ वि/प्रबो-89-1/106	राज्य सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुनरक्षित वेतनमान इस विश्वविद्यालय के सभी संकायों को प्रदान करने केस्ने के बारे में प्राप्त हुआ है पर विचार किया गया । निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान के संबंध में है को आलोकित किया जाय ।
राकृवि/प्रबो-8/ 89-1/107	माननीय उच्च न्यायालय के वाद संख्या 2558/1988 जो कि राज्य सरकार के पत्र दिनाक 3-3-88, 29/6/88 व 7-7-88 के सन्दर्भ में है के आदेश दिनाक 9/12/88 जिसके द्वारा उन सह आचार्य व आचार्य को एक्स-केडर योजना में चयनित हुऐ है उनको पुनर्दित वेतनमाल 3700-5700 व 4500-7300 विश्वविद्यालय अनुदान आयोजन के वेतनमान दिये जाने के संदर्भ में है पर विचार किया गया । निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश को आलोकित किया जाय परन्तु अग्रिम निर्देश हेतु राज्य सरकार को लिखा जाया ।
राकृवि/प्रबो-8/ 1/108	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित इन्द्रा गाँधी नहर परियोजना में क्षेत्र में 25000 हेक्टर भूमि पर वाटर लागिंग की समस्या पर अध्ययन पर एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार का प्रस्ताव है पर विचार किया गया । विचार विमर्श के पश्चात निर्णनय लिया गया कि प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाय कि इस विश्वविद्यालय पर किसी प्रकार का आर्थिक भार नही होगा ।

राकृवि/प्रबो-8/ 89-1/109. कुलपति को संबोधित उप शासन सचिव का पत्र क्रमांक एफ (3) कृषि ग्रुप2-ए/88 दिनांक 7.12.1988 जो कि राज्य सरकार के दो कालेज (चिमनपुरा व सवाईमाधोपुर) व निजी महाविद्यालय (डी.ए.वी.कोलेज अजमेर व सांगरिया) के स्नातक कार्यक्रम को इस विश्वविद्यालय द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र 1989-90 से लिये जाने के संबंध में है पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को सूचित किया जाय कि विश्वविद्यालय इन कार्यक्रमों को लेने पर विचार करेगा यदि निम्न पूर्तिया की जावे :-

अ) क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की राज्य कृषि विश्व-विद्यालयों के मोडल अधिनियम में संबंधन (एफीलिएशन) का कोई प्रावधान नहीं है व राज्य सरकार द्वारा भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को वचनवद्धता प्रकट कर दी है कि संबंधन का प्रावधान हटा दिया जायेगा, यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय के संबंधन नहीं होंगे परन्तु विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय होंगे।

ब) इन कार्यक्रमों के स्थानान्तरण पर उपलब्ध सभी सुविधायें भी विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित की जायेगी ताकि यह बाद में स्वतंत्र इकाई के रूप में बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी दिनचर्या कार्यक्रम लागू रख सकें।

स) इन कार्यक्रम हेतु वर्तमान में उपलब्ध सुविधायें को वितिय प्रावधान से राज्य सरकार सुदृढ़ करे ताकि यह कार्यक्रम उपकरण, तकनीकि शिक्षक व अन्य सहायक कर्मचारीगण, आकस्मिकताओं (कन्टेंजेंसी) अतिरिक्त भवन जिसमें छात्रावास शामिल होंगे के परिपूर्ण हों सकें।

द) प्रत्येक कृषि कार्यक्रम के लिये 100 हेक्टर उन्नत भूमि फार्म निर्माण हेतु उपलब्ध करायेगी।

क) महाविद्यालयों के कृषि कार्यक्रम हेतु प्रत्येक इकाई के स्थानान्तरण के प्रथम वर्ष कम से कम 25 लाख रूपये सुविधाओं के रूप में राज्य सरकार को प्रावधान करना होगा।

ख) राज्य में कृषि स्नातकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों में छात्रों की अन्तर्ग्रहण(इनटेक) पर पुनः विचार किया जायेगा व कार्यक्रम हेतु समस्त प्राथमिक सुविधायें उपलब्ध करायी जाये।

ग) राज्य सरकार द्वारा इन महाविद्यालयों के कार्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुमोदित की जाय ताकि आगामी 3-4 वर्ष में आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।

......6.

रा.कृ. [illegible] गो-8/ 89-1/ [illegible]

श्री एम. एल. चांगवाल व श्री प्रदीप टॉक, कनिष्ट अभियन्ताओं की प्रार्थना जिसमें कि उन्होंने अपना त्याग पत्र जो कि पूर्व मे स्वीकृत किया जा चुका है को वापिस लेने व इस विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें पुन: सेवाओं में लेने के लिऐ निवेदन किया है पर विचार किया गया।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि इन दोनों कनिष्ट अभियन्ताओं की प्रार्थना स्वीकार की जाती है तथा इनके द्वारा जिस अवधि में विश्वविद्यालय की सेवाओ मे नही रही उस अवधि का अवैतनिक अवकाश की प्रार्थना करनी होगी और यह अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाकर पुन: सेवाओं में बहाल किया जा सकेगा पर साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में यह किसी भी प्रकार के दृष्टान्त स्वरूप प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

वि/प्रबो-8/ [illegible]

कुलपति ने सूचित किया कि विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षान्त समारोह दिनांक 25 फरवरी, 1989 को आयोजित होगा। इस हेतु डा. एन. एस. रन्धावा, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् व सचिव, कृषि विस्तार एवं अनुसंधान, भारत सरकार, नई दिल्ली दीक्षान्त भाषण वाचन करेंगे। इस अवसर पर देश के कुछ उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को मानद उपाधि से सम्मानित किया जाना है। क्योंकि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अधिनियम में देश के प्रतिभावान व उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को मानद उपाधि से सम्मानित करने की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है अत: राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 20.5.88 के निर्णयानुसार मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अधिनियम (स्टेट्यूट्स के प्रावधानो का अनुसरण किया जाय।

निर्णय लिया गया कि कुलपति के प्रतिवेदन को आलोकित किया जाय।

[illegible]बो-8/ 89-1/112.

कुलपति ने दिनांक 8.9. व 11 जनवरी 1989 को राज्य सरकार के निर्देशानुसार मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति से मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु एक संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णयों को प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात बोर्ड के सदस्यों की यह मान्यता रही कि यदि इस बैठक में कोई ठोस सुझाव या निर्णय नहीं लिये जा सके हैं और कुलपति यह मानते हैं कि यह बैठक कोई कारगर निर्णय नहीं ले पाई है और / या वे इसकी क्रियान्विति से. असंतुष्ट हैं तो सारे प्रकरण को राज्य सरकार के पास भेज कर उनसे उचित मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया जाय।

जब तक उचित व्यवस्था न बने तब तक कुलपति महोदय का उदयपुर में कैम्प आफिस उनके निवास स्थान पर ही राखा जावे।

राकृवि/प्रबो-8/89-1/113. श्री बी. डी. कल्ला, सदस्य प्रबन्ध बोर्ड जिनका मनोनयन वित्त समिति में विश्वविद्यालय के सदस्य के रूप में किया हुआ था जिनका कि कार्य काल समाप्त हो गया है अत: नये सदस्य के मनोनयन पर विचार किया गया।

विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि श्री शिवनाथ सिंह कपूर को प्रबन्ध बोर्ड के नये सदस्य के रूप में वित्त समिति में मनोनयन किया जाय।

राकृवि/प्रबो-8/89-1/114. स्वर्गीय डा. हरीश चन्द्र शर्मा, आचार्य उद्यान विभाग के नाम पर दो प्रस्ताव हैं । (एक स्वर्ण पदक स्नात्कोत्तर (कृषि उद्यान विज्ञान), श्री नरेन्द्र कर्ण कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के छात्र को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर किये जाने पर विचार किया गया। (दूसरा- उस क्षेत्र के सर्वाधिक सब्जी उगाने वाले कृषक को पुरूस्कृत किये जाने पर विचार किया गया।

विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को पारित किया जाता है। श्री नरेन्द्र कर्ण कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के उद्यान विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष व अधिष्ठाता इसके मानदण्ड सुझाव व नियमावली बनाकर कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त करें।

राकृवि/प्रबो-8/89-1/115 विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा (4) के अन्तर्गत विभागाध्यक्षों के नियुक्ति किये जाने के संबंध में उठाया गया स्पष्टीकरण के बिन्दु पर सदस्यों ने अपना विचार व्यक्त किया कि विभागाध्यक्षो के अधिनियम में कर्तव्य व कार्यक्षेत्र के संबंध में कोई निश्चित उल्लेख नहीं है और अधिनियम के संशोधन प्रस्तावित किये हुए है फिलहाल विद्यमान नियमो के अनुसार ही कार्यवाही की जाय और इस संबंध में न्यायिक परीक्षण करा लिया जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह.
(के. एन. नाग)
अध्यक्ष

ह.
(खुशहाल सिंह)
सदस्य सचिव